



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक 457 / प्रवर्तन जोन-1 / 2018

दिनांक 12/12/18

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र

(आवेदन पत्र परिशिष्ट-6-प्रपत्र 'ब' भाग-अ, ब, स की फोटो कॉपी साथ में संलग्न है।)

मै0 आर0के0एस0 बिल्डकॉन प्रा0लि0, मै0 लोटस इन्टरप्राइजेज व अन्य द्वारा खसरा सं.-1052मि0, 1059मि0, 1060मि0 व 1098, ग्राम नूर नगर, राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद पर निर्मित गुप हाउसिंग भवन "ऑफिसर्स सिटी-1" के अवासीय टॉवर-ए, बी तथा सी के आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने हेतु प्रस्तुत अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों का परीक्षण श्री निहाल सिंह, अवर अभियन्ता एवं श्री प्रशान्त गौतम, सहायक अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 15.11.2018 को कर लिया गया है एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुरूप सही पाये जाने पर टॉवर-ए, बी तथा सी के लिए आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 06.12.2018 को प्रदान की गयी है। अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 क (2) के अन्तर्गत टॉवर-ए, बी तथा सी हेतु आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों के साथ निर्गत किया जाता है:-

शर्त:-

1. पक्ष को पूर्व स्वीकृत/संशोधित स्वीकृत/शमन मानचित्र की समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा।
2. अग्निशमन उपकरणों को सदैव क्रियाशील रखना होगा एवं अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र में अंकित शर्तों का पालन करना होगा। प्रत्येक वर्ष अग्निशमन अनापत्ति का नवीनीकरण कराना होगा एवं नवीनीकरण प्रमाण-पत्र की एक प्रति प्राधिकरण कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी।
3. संरचना सुरक्षा एवं अन्य सम्बन्धित उपकरणों की सुरक्षा का दायित्व स्वयं विकासकर्ता का होगा।
4. किसी भी विपरीत परिस्थिति में होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
5. समस्त शासकीय विभागों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्रों में अंकित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों तथा आवेदक/विकासकर्ता के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत सभी शपथ पत्रों एवं वचनबद्धताओं का अनुपालन करना होगा। किसी भी शपथ पत्र/वचनबद्धता की किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में निर्गत सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
6. प्राधिकरण द्वारा भविष्य में बड़े हुए विकास व्यय या अन्य कोई शुल्क की मांग की जाती है तो देय शुल्क बिना किसी आपत्ति के प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा।
7. अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के गठन उपरान्त अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन को सुविधाओं सहित हस्तान्तरण तक समस्त सुविधाओं आदि का अनुरक्षण विकासकर्ता द्वारा ही किया जायेगा।
8. लिफ्ट के संचालन के सम्बन्ध में प्राप्त अनापत्ति में उल्लेखित शर्तों का पालन करना होगा एवं लिफ्ट के संचालन व अनुरक्षण से सम्बन्धित जिम्मेदारी विकासकर्ता/ए.ओ.ए. की होगी।
9. स्थल पर सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान्ट की स्थापना तथा क्रियाशील करने सम्बन्धित प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 12.11.2018 के अनुसार अगामी 01 माह में प्लान्ट को क्रियाशील कर प्राधिकरण को सूचित करना होगा, अन्यथा शर्त के उल्लंघन की दशा में निर्गत आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
10. पर्यावरण विभाग की अनापत्ति पत्र में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
11. माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन किये जाने की जिम्मेदारी विकासकर्ता/ए.ओ.ए. की होगी।
12. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के रख-रखाव की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता/ए.ओ.ए. की होगी।
13. ग्रीन एरिया की रख-रखाव की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता/ए.ओ.ए. की होगी।
14. यदि किये गये निर्माण में बाद में कोई विचलन पाया जाता है तो उसे शमन कराना होगा।
15. विकासकर्ता/ए.ओ.ए. को यू.पी. अपार्टमेंट एक्ट-2010 नियमावली-2011 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
16. वाटर सप्लाई/सीवर तथा अन्य किसी भी प्रकार के रख-रखाव की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी तथा किसी भी समय आन्तरिक विकास कार्यों को हैण्ड ओवर करने की पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।

(वी0के0 सिंह)

विशेष कार्याधिकारी/प्रभारी प्रवर्तन जोन-1